कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, आसी रोड, ग्वालियर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) M.P., AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR

क.प्रशा.11/स-4/कार्यालय आदेश नस्ती/का.आ./298 दिनांक : 01.03.2021

कार्यालय आदेश / Office order 298

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 15 निर्दिष्ट करता है कि उपनियम (2) में निहित प्रावधानों के अधीन कोई भी शासकीय कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना —

Rule 15 of the CCS(Conduct) Rules, 1964 stipulates that (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), no Government servant shall, except with the previous sanction of the Government -

- (a) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी व्यापार / व्यवसाय में शामिल नहीं होगा, या engage directly or indirectly in any trade or business, or
- (b) किसी अन्य रोज़गार के लिए प्रयास, या स्वीकार नहीं करेगा, या negotiate for, or undertake, any other employment, or
- (c) किसी निकाय में, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, कोई निर्वाचित पद धारण नहीं करेगा या निर्वाचित पद हेतु किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेगा, या hold an elective office, or canvass for a candidate or candidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not, or
- (d) अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन अथवा प्रबन्धित बीमा एजेन्सी, कमीशन एजेन्सी, आदि के किसी व्यापार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा
 - canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc., owned or managed by any member of his family, or
- (e) अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या वर्तमान समय में प्रभावशील किसी अन्य विधि में पंजीकृत अथवा पंजीयन हेतु अपेक्षित किसी बैंक या अन्य कम्पनी के, अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किसी अन्य सहकारी समिति के पंजीयन, प्रचार या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा
 - take part, except in the discharge of his official duties, in the registration, promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered, under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force, or of any co-operative society for commercial purposes.
- (f) निम्निलखत के निर्माण में भाग नहीं लेगा या किसी भी प्रकार से स्वयं को संबंधित नहीं करेगा : (i) प्रायोजित मीडिया (रेडियो अथवा टेलीविज़न) कार्यक्रम; या (ii) सरकारी माडिया द्वारा अधिकृत परंतु निजी एजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम; या (iii) निजी रुप से निर्मित वीडियो पत्रिका सहित मीडिया कार्यक्रम।

participate in or associate himself in any manner in the making of- (i) a sponsored media (radio or television) programme; or (ii) a media programme commissioned by Government media but produced by a private agency; or (iii) a privately produced media programme including video magazine.

साथ ही उक्त का उपनियम (4) निर्दिष्ट करता है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी भी निजी या सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता है।

Further, Sub-rule (4) thereof lays down that no Government servant may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

यह संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी / कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना निजी ट्यूशन देने, पार्ट टाइम जॉब करने, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में निर्वाचित पद धारण करने, दुकानें या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाने में संलग्न हैं, जिसके लिए वे शुल्क / परिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

It has come to notice that some officials/officers are engaged in giving private tuition, doing part time jobs, holding elective posts in Resident Welfare Society etc, running shops or other business establishments for which they receive fees/remuneration, without obtaining the sanction of appropriate authority.

अतः कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे समुचित प्राधिकार के बिना ऐसे किन्हीं भी क्रियाकलापों को करने से बचें अन्यथा उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Therefore, all officers and officials of the office are advised to desist from undertaking any such activities without proper authorization, otherwise suitable disciplinary action would be taken against them.

(प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी)

हस्ता/– उप महालेखाकार/प्रशासन

क.प्रशा.11/स-4/कार्यालय आदेश नस्ती/एस.टी.आर.-1/९13 दिनांक : 01.03.2021

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 2— उप महालेखाकार / ए.एम.जी.—1,2,3,4 एवं 5, कार्या. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 3— वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रभारी कल्याण शाखा।
- 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.—1,2,3,4 एवं 5 (मुख्या.), फास (एम.), फाप अनुभाग, प्रशासन—11, प्रशासन—12, प्रशासन—13, प्रशासन—14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, रिपोर्ट (सिविल), रिपोर्ट (पी.ए.सी.), हिन्दी कक्ष, पी.ए.
- 5— वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / आई.एस.एण्ड डी.ए.सी. को इन्ट्रानेट पर "Administration- Personnel" लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करनो् हेतु प्रेषित ।
- 6— श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन —14 को इन्टरनेट से संबंधित कार्य हेतु।

- महामंत्री, सीनियर ऑडिट ऑफिसर/ऑडिट ऑफिसर एसोसिएशन, ग्वालियर। 7-
- महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर। 8-
- महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर। 9—
- सूचना पटल /ऑडिट भवन। 10-
- गार्ड फाइल ! 11-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन—11